सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **11/2011** दायर दिनाँक **12.01.2011**

वादी		प्रतिवादीगण
1. चान्दखाँ पुत्र हासमखाँ, कौम—कायमखानी, आयु—58साल, निवासी—बेरीखुर्द, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. न्यामतबानो पत्नी गनीखाँ, 2. युसुफखाँ पुत्र भँवरूखाँ, 3. जैतूनबानो पत्नी भँवरूखाँ, 4. याकूबखाँ पुत्र नाथूखाँ, 5. इब्राहिमखाँ पुत्र नाथूखाँ, 6. रमजानखाँ पुत्र नाथूखाँ, कौम—कायमखानी, निवासी—बेरीखुर्द, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. पक्षकारान्।

—:: <u>निर्णय</u> ::—

दिनाँक **06.06.2018**

शरहद मौजा बेरीखुर्द तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 343 रकबा 17.15 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 422/355 रकबा 05.03 बीघा, के घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादी का वाद दिनाँक 29.06.2017 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट कैम्प—खाखोली में पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार डीडवाना ने कैम्प दिनाँक 06.06.2018 में विभाजन प्रस्तावित किया। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 11/2011
दायर दिनाँक 12.01.2011, निर्णय दिनाँक 06.06.2018
चान्दखाँ बनाम् न्यामतबानो, वगैरा।

सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन दिनाँक 06.06.2018 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा बेरीखुर्द तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 343 रकबा 17.15 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 422/355 रकबा 05.03 बीघा, का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 06.06.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 06.06.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खाखोली

निर्णय आज दिनाँक **06.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खाखोली

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदद्में इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **11/2011** दायर दिनाँक **12.01.2011**

वादी		प्रतिवादीगण
1. चान्दखाँ पुत्र हासमखाँ, कौम–कायमखानी, आयु–58साल, निवासी–बेरीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. न्यामतबानो पत्नी गनीखाँ, 2. युसुफखाँ पुत्र भँवरूखाँ, 3. जैतूनबानो पत्नी भँवरूखाँ, 4. याकुबखाँ पुत्र नाथूखाँ, 5. इब्राहिमखाँ पुत्र नाथूखाँ, 6. रमजानखाँ पुत्र नाथूखाँ, कौम–कायमखानी, निवासी–बेरीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **06.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित पक्षकारान्** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा बेरीखुर्द तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 343 रकबा 17.15 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 422/355 रकबा 05.03 बीघा, का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 06.06.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 06.06.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत.......... ....–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **06.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खाखोली

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—खाखोली

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–11–2011 / रीडर / 2018 / दिनाँक

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –अन्तिम निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. चान्दखाँ पुत्र हासमखाँ, कौम–कायमखानी, आयु–58साल, निवासी–बेरीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. न्यामतबानो पत्नी गनीखाँ, 2. युसुफखाँ पुत्र भँवरूखाँ, 3. जैतूनबानो पत्नी भँवरूखाँ, 4. याकुबखाँ पुत्र नाथूखाँ, 5. इब्राहिमखाँ पुत्र नाथूखाँ, 6. रमजानखाँ पुत्र नाथूखाँ, कौम–कायमखानी, निवासी–बेरीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित अन्तिम निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खाखोली

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2011/11** दायर दिनांक **12.01.2011**

वादी		प्रतिवादीगण
1. चान्द खां पुत्र हासम खां जाति कायमखानी निवासी बेरी खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम्	1. न्यामतबानों पत्नी गनी खां 2. युसुफ खां पुत्र भवरू खां 3. जैतून बानों पत्नी भंवरू खां 4. याकुब खां पुत्र नाथु खां 5. इब्राहीम खां पुत्र नाथुखां 6. रमजान खां पुत्र नाथु खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण बेरी खुर्द तहसील डीडवाना 7. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा — 53, 88, 188 R.T Act.

उपस्थितः— पक्षकारान

—:: प्राथमिक निर्णय ::—

दिनांक **29.06.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खसरा सं0 343 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 422/355 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद बेरी खुर्द में अवस्थित है। प्रतिवादीगण युसुफ खां पुत्र भंवरू खां व जैतुन बानों पत्नी भंवरू खां ने उक्त खेत खसरा सं0 343 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा व खसरा सं0 422/325 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा कुल 22 बीघा 18 बिस्वा में से अपने सम्पूर्ण संभावित भाग की भूमि 229/458 भाग में से 55/458 भाग की भूमि अर्थात 02 बीघा 15 बिस्वा जरिये रजिस्ट्रड बैचान दिनांक 21.05.2007 के विक्रय करके मौके पर कब्जा वादी को सुपुर्द कर दिया जिस पर वादी काबिज है। रजिस्ट्री की नकल वाद के साथ पेश है। वादी की खरीद सुदा भूमि का सहवन से अपने नाम से नामान्तरकरण नहीं करवाया है। जिसके लिए वादी ने यह घोषणा खातेदारी का वाद श्रीमान के समक्ष पेश किया है।

प्रार्थना वादी है कि खसरा सं0 343 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 422/355 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद बेरी खुर्द में से वादी की जरिये रजिस्ट्रड बैचाननामा दिनांक 21.05.2007 के क्रय सुदा, कब्जाकाश्त की उक्त खसरान के कुल रकबा में से 55/458 भाग अर्थात 02 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी वादी के नाम से घोषित की जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2011/11
दायर दिनांक 12.01.2011 प्राथमिक निर्णय दिनांक 29.06.2017
चान्द खां बनाम न्यामत बानों, वगैरा।

जावें तथा उक्त खसरान में किसी प्रकार की दखल अंदाजी या हस्तक्षेप अथवा हस्न्तरण नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावें।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट बेरी खुर्द में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान को सुना गया। मजमें आम में प्रकरण के संबंध में जानकारी ली गई। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाके सरहद बेरी खुर्द के खसरा सं0 343 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 422/355 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद बेरी खुर्द में से 55/458 भाग अर्थात 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादी की खरीद सुदा भूमि है जिसका नामान्तरकरण आज दिनांक तक वादी के नाम से नहीं हुआ है। खरीद सुदा भूमि का नामान्तरकरण वादी अपने नाम से करवाने हेतु कानूनन हकदार है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार सरहद बेरीखुर्द के विवादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार है। अतः वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

हस्व दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर वाके सरहद बेरी खुर्द के खसरा सं0 343 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 422/355 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद बेरी खुर्द में से 55/458 भाग अर्थात 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तथा आराजी उपर्युक्त का वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 06 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा कर विभाजन प्रस्तावित करने बाबत भूमिधारी (तहसीलदार) डीडवाना को आदेशित किया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक **29.06.2017** को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट बेरी खुर्द में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner